<u>कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा</u>

क्रमांक : के.वी.के. / दौसा / स्टोर / 68 दिनांक : 02.07.2018

<u>निविदा सूचना</u>

कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा के वित्तीय वर्ष 2018—19 में निम्न कार्यों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति के लिए इच्छुक भोजन आपूर्तिकर्ताओं / फर्मो / सेवा प्रदाता संस्थाओं / कृषकों जिनके पास PAN, GST, फूड आपूर्ति लाइसेन्स हो से दिनांक 18.07.2018 दोपहर 12.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र में बन्द लिफाफे में निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि
1	केन्द्र पर वर्ष पर्यन्त समय समय पर होने वाले कृषक प्रशिक्षण में कृषकों हेतु नाश्ता व भोजन सप्लाई	150000
2	कार्यालय की चौकीदारी एवं नर्सरी व कृषि का कार्य हेतु लेबर सप्लाई कार्य	200000
3	फार्म की 50 बीघा पक्की जमीन पर खरीफ 2018 व रबी 2018—19 में हिस्सा आधारित खेती का कार्य	100000

प्राप्त निविदाऐं उसी दिन दोपहर 1.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष केन्द्र की कमेटी द्वारा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से 500 /— रू. Demand Draft देकर प्राप्त किया जा सकता हैं। निविदाऐं निर्धारित निविदा प्रपत्र मे ही देनी होगी एवं 2% धरोहर राशि Demand Draft जमा करानी होगी। निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा की नियम व शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय समय में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है

कार्यक्रम समन्वयक
कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा

Copy to the following for necessary information and action:
1. The Comptroller, SKNAU, Jobner
2. The Director Extension, DEE, SKNAU, Jobner
3. The Incharge CIMCA for uploading on university and state Govt. website

कार्यक्रम समन्वयक
कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा

<u>कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा</u>

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

<u>निविदा प्रपत्र</u>

1. .... के लिए निविदा (कार्य का नाम जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की है)
2. निविदा प्रस्तुत करनें वाले का नाम व पता..
   ....
   ....
   ....
3. नाम व पता जिसको निविदा प्रस्तुत की गयी है : कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र दौसा।
4. सन्दर्भ : ....
5. निविदा शुल्क रू.. जो Demand Draft सं... द्वारा जमा कराया गया।
6. हम निविदा सूचना संख्या...दिनांक.................................... की सभी शर्तों से सहमत है एवं साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सीट की सभी शर्तें मंजूर है, हमारी स्वीकृति के लिए सभी पृष्ठों पर हमनें हस्ताक्षर कर दिये है।
7. चाहे गये सामान/कार्य के लिए हमारी दरें इस प्रकार है –

क्र. सं.	सामान/कार्य का विवरण	निविदादाता द्वारा दर सभी करों सहित (रू)
1		
2		
3		
4		
	कुल	

जिस फर्म की दर कुल मिलाकर न्युनतम आयेगी वही अनुमोदित होगी।

8. उपरोक्त दरें...31 मार्च 2019 तक मान्य रहेंगी जिसे आपसी सहमति से तीन माह तक के लिए बढाया जा सकता है।

9. ड्राफ्ट नं.. दिनांक................ रूपये..................................... .... धरोहर राशि के साथ संलग्न है।

10. आयकर विवरणी सेल्स टेक्स रजिस्ट्रेशन,**PAN,GST,** नम्बर सर्टिफिकेट संलग्न है।

11. निर्माता/डीलर का घोषणा पत्र संलग्न है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

नाश्ता व भोजन का मीनू

1. नाश्ता :
   चाय–1 कप, कचौरी 1 नग/समोसा 1 नग/कोफ्ता 2 नग 70 ग्राम व मावा बर्फी 2 नग 70 ग्राम
2. **भोजन का मीनू:**
   रोटी या पुडी, सब्जी रस्सेदार एवं सूखी सब्जी मौसम के अनुसार, बूँदी दाना, नमकीन भरपेट।
   अथवा
   दाल, बाटी, चूरमा (देशी घी में) भरपेट

शर्तें :–

1. गैर आवासीय प्रशिक्षणों में नाश्ता एवं भोजन एक बार दिया जायेगा। आवासीय प्रशिक्षणों में नाश्ता एक बार एवं भोजन दो बार (दोपहर एवं सायं) दिया जायेगा।
2. खाना बनानें में उच्च कोटि की खाद्य सामग्री, शुद्ध आटा, ताजा सब्जी, रिफाईण्ड तेल देशी घी एगमार्का इत्यादि का प्रयोग करना होगा।
3. भोजन में किसी भी प्रकार की शिकायत व फूड पोइजन की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी भोजन आपूर्तिकर्ता की होगी।
4. खाना खिलाने के लिये पत्तल, दोने, गिलास, पानी, बिछाने की दरी पट्टी इत्यादि की व्यवस्था भोजन आपूर्तिकर्ता को करनी होगी। खाना खिलाने के पश्चात सफाई की व्यवस्था भी पार्टी को करनी होगी।
5. उपरोक्त मीनू क्रम संख्या 1 से 2 तक की दरें अलग–अगल देनी होगी। सम्पूर्ण भोजन व्यवस्था एक ही पार्टी से करवाने हेतु न्यूनतम दर की गणना क्रम संख्या 1 से 2 की प्राप्त दरों को सम्मिलित कर की जावेगी जो सम्पूर्ण भोजन व्यवस्था की दरें होंगी एवं इसी के अनुसार न्यूनतम दर वाली पार्टी को अनुमोदित किया जावेगा।

6. यह दरें मार्च 2019 तक मान्य होगी, भोजन का आदेश समय–समय पर प्रशिक्षण आयोजित होने पर दिया जावेगा। एक साथ भोजन का आदेश नही दिया जावेगा।

7. भोजन आपूर्तिकर्ता को PAN, GST, फूड लाईसेन्स की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। अन्य शर्तें विश्वविद्यालय नियमानुसार होंगी।

8. भुगतान बिल प्रस्तुत करने के पश्चात कोष कार्यालय से पारित होने पर कर दिया जावेगा, नियमानुसार TDS काटा जावेगा। पार्टी द्वारा बीच में ठेका छोड़ने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

9. कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा गठित कमिटी/प्रभारी अधिकारी/प्रशिक्षण प्रभारी समय समय पर निविदा सम्बन्धी शर्तो एवं खाद्य पदार्थो की गुणवता की जाँच कर सकेंगे।

10. किसी भी प्रकार की जोखिम/दुर्घटना के लिए के.वी.के. दौसा उत्तरदायी नही होगा।

हमें सभी शर्तें मन्जूर है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

चौकीदारी/नर्सरी एवं कृषि कार्य का विवरण व शर्तें:

1. चौकीदारी का कार्य कार्यालय भवन, दो किसान घर, बीज गोदाम, गैराज, क्वाटर्स, फार्म, बकरी पालन इकाई, कार्यालय का पूरा केम्पस, कुएँ पर स्थित मोटर इत्यादि है, समस्त की करनी होगी।
2. चौकीदारी की कार्य ठेके पर है। जिसकी दर प्रतिमाह की देनी होगी। चौकीदारी का कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जायेगा। पूरे माह व वर्ष की बाध्यता नहीं होगी। दर मार्च 2019 तक के लिए मान्य होगी।
3. भुगतान बिल प्रस्तुत करने के पश्चात कोष कार्यालय से पारित होने पर कर दिया जावेगा, नियमानुसार TDS काटा जावेगा। पार्टी द्वारा बीच में ठेका छोड़ने पर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
4. नर्सरी एवं कृषि कार्य जिसमें नर्सरी में पौधों में पानी देना, थैलियों में पौधे लगाना व पेड़ लगाने हेतु थांवला बनाना, पेड़ लगाना, पौधों की कांट छांट करना, निराई गुडाई करना, हैज की कटिंग करना इत्यादि कार्य होंगे।
5. नर्सरी एवं कृषि कार्य की दर प्रतिदिन की देनी होगी। पारिश्रमिक का भुगतान बिल प्रस्तुत करनें के पश्चात किया जावेगा। कार्य आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा। पूरे माह व पूरे वर्ष कार्य करवाने की बाध्यता नही होगी। दरें मार्च 2019 तक मान्य होगी।
6. उपरोक्त दोनो कार्यों का कार्यालय से अनुबन्ध कराना होगा। कार्य स्वयं की जौखिम पर करना होगा। किसी प्रकार जौखिम या दुर्घटना के लिये के.वी.के. दौसा उत्तरदायी नही होगा।
7. चौकीदारी में किसी भी प्रकार की क्षति के लिये ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। जिसकी भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तें हमें मान्य है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

फार्म पर हिस्सा आधारित खेती का विवरण

कार्य की अवधि :..

निविदा दाता / कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण

विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत में
1. बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
	कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	

हिस्सा आधारित खेती की शर्ते :

1. ट्रेक्टर सम्बन्धित कार्य डिस्क प्लाउ, हैरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि की तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई आदि के कार्य की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जावेगी अर्थात इनसें सम्बन्धित डीजल खर्च, व्यवस्था में निविदादाता को कोई योगदान नही होगा। परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।

2. बुवाई के दौरान लगने वाले बीज, फफूंद नाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र ही करेगा। बीज उपचार फार्म प्रभारी/प्रबन्धक/वैज्ञानिक के निर्देशानुसार निविदादाता को करना होगाा।
3. फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति मे दवाईयों, स्प्रेयर आदि की आपूर्ती भी केन्द्र ही करेगा। परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
4. कटाई से लेकर फसल थ्रेसिंग तथा उसके बाद उत्पाद की साफ–सफाई करके बोरियों में भरकर, तोलकर गोदाम में रखने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक अवयव निविदादाता को ही वहन करनें होंगे।
5. स्वीकृत निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाईप, फव्वारे सैट, टी डाट आदि गिनकर लिखित रूप मे प्राप्त करनें होंगे। तथा कार्य समाप्ति पर सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी। तथा उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे।
6. विभिन्न प्रकार की शष्य क्रियाऐं फार्म इन्चार्ज एवं कार्यक्रम समन्वयक के निर्देशानुसार करनी होगी। तथा कृषि कार्य जैसे निराई, गुढाई, कटाई व अन्य श्रमिक कार्य निविदिदाता को वहन करने होंगे।
7. थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बटवारें के बाद कोन्ट्रेक्टर के हिस्से की बिक्री की स्थिति में प्रथम अधिकार केन्द्र का होगा जिसके लिये कोन्ट्रेक्टर को प्रचलित दर से भुगतान किया जायेगा।
8. फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है, इसके लिये फार्म इन्चार्ज या कार्यक्रम समन्वयक से सम्पर्क करना होगा। तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इकट्ठा करने के लिये ट्रेक्टर की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जायेगी।
9. निराई, गुडाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये करने होंगे, प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य को रोके जाने का अधिकार फार्म प्रभारी या कार्यक्रम समन्वयक का होगा।
10. बोई फसल की जानवरों से, चोरी से रक्षा करना निविदादाता का होगा। इस हेतु निविदा हेतु शपथ पत्र देना होगा।
11. बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार कार्यक्रम समन्वयक को होगा, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में कार्यक्रम समन्वयक का निर्णय अन्तिम होगा, जो कि कोन्ट्रेक्टर को मानने हेतु बाध्य होगा।

12. पम्प व ट्यूबवेल, मोटर ऑपरेशन निविदादाता को ही करना होगा।
13. जिस पार्टी के नाम निविदा छूटेगी उसे 5000/–रू. धरोहर राशि के रूप में कार्यालय में जमा कराने होंगे, जो कार्य समाप्ति के पश्चात बिना ब्याज लोटा दियें जायेंगे।
14. न्यूनतम निविदा दर को कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा स्वीकार करने को बाध्य नही होगा।
15. किसी भी प्रकार की जोखिम/दुर्घटना के लिए के.वी.के. दौसा उत्तरदायी नही होगा।
16. फार्म पर बीज उत्पादक कार्यक्रम में प्राप्त उपज को केन्द्र द्वारा ही रखा जावेगा। ठेकेदार को उसके हिस्से का बटवारा उस समय की प्रचलित बाजार दर के भाव से उसके हिस्से की तोल के अनुसार नकद राशि में किया जावेगा। भाव की दर कार्यालय की कमेटी द्वारा जिसमें ठेकेदार भी सम्मलित होगा, बाजार भाव के अनुसार तय की जावेगी, जो ठेकेदार को मान्य करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तें हमें मन्जूर है एवं मैं उपरोक्त शर्तों के अनुसार कार्य करने पर सहमत हूँ।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा

निविदा की नियम व शर्तें :–

1. निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही भरनी होगी। निविदा के साथ 2% धरोहर राशि आवश्यक रूप से जमा करानी होगी। इसके अभाव में निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
2. निविदा के साथ **GST,PAN, GST** नम्बर आयकर/बिक्री कर क्लिीसेल्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
3. निविदाऐं निर्धारित प्रपत्र में बन्द लिफाफे में जिस पर................................ के लिए निविदा लिखा हो प्रस्तुत करनी होगी।
4. निविदा मे कांट छांट नही होनी चाहिए। निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
5. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि लौटायी नहीं जावेगी।
6. धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
7. जमानत राशि 5% Demand Draft से जमा करानी होगी। जिसमें 2% धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी। जमानत राशि सामान सप्लाई/कार्य समाप्ति के पश्चात् लोटा दी जावेगी। जमानत राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. मीनू के अनुसार सामान न देने व कार्य न करने/कार्य बीच में छोड़ने की स्थिति में जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
9. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार करना होगा।
10. सामान की आपूर्ति/कार्य निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र जिसकें लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है की शर्तों के अनुसार करने हेतु निविदादाता को 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

11. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र दौसा होगा।

12. न्यूनतम निविदा पर जिसे कमेटी उचित न समझे कृषि विज्ञान केन्द्र, दौसा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

13. निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार कार्यक्रम समन्वयक के.वी.के. दौसा को होगा।

14. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्ते राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्ते निविदा का भाग मानी जाएगी।

15 निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 एवं राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व अन्य प्रचलित नियमों के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।

16 सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से सामग्री प्रदाय करने मे असफल रहने पर अथवा आपूर्ति/कार्य संतोषजनक नहीं करने पर वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य/आपूर्ति अन्य फर्म से करा सकेंगे। इसके साथ ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त की जा सकेगी।

17उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य शर्ते निविदा सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानानुसार लागू होगी।

18 तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय निविदा किसी भी परिस्थिति में नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय की तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत

पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द किया जा सकेगा तथा बोली प्रतिभूति (Bid security) जब्त की जा सकेगी।

19 बोली प्रतिभूति (Bid security) राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी अतः यदि फर्म लघु उद्योग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन हेतु प्रचलित नियमों के अनुसार दस्तावेज/प्रमाण एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अनुसार दस्तावेज पत्र प्रस्तुत करने होंगे। **निर्धारित संलग्न प्रारूप (प्रपत्र 'य') में शपथ पत्र भी संलग्न करना है।**

20 राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संशोधित नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् **स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से बिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म द्वारा प्रस्तुत दर में केन्द्रीय बिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।**

21 निर्धारित समय में सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी। यदि परिसमापित क्षति के साथ सुपुर्दगी की विभिन्न आदेशों में लिखित अवधि में वृद्धि की हो तो प्रदाय नहीं किये गये कार्यो के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगीः-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिए 5.0
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिए 7.5
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10.00

22 सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर को यह अधिकार कार्यक्रम समन्वयक के.वी.के. दौसा को होगा कि कार्य हेतु दिए गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त की जा सकेगी।

23 निविदादाता को यह लिख कर देना होगा कि उसके द्वारा अनुबन्ध अवधि में यदि इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड, अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को सामग्री की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा कम दरों पर भुगतान किया जाएगा। इसके लिए Fall clause प्रमाण पत्र **प्रपत्र 'द'** भी संलग्न करना होगा।

24 किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी **प्रपत्र 'स' संलग्न है।** यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जा सकेगा।

25 केवल न्यूनतम दर ही निविदा स्वीकृति का आधार नहीं होगा। दर के साथ–साथ सामग्री की गुणवत्ता को भी आधार माना जाएगा।

26 **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

27 **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी

आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

28 हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,-

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

29 उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होंगे।

1 **अपीलः–** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है

तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन तक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (**प्रपत्र-'र'**) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जोन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधी के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली

दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. **अपील का प्रारूप –** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररुप **(प्रपत्र –'र')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस –** (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

कार्यक्रम समन्वयक
के.वी.के. दौसा

मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है एंव समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समस्त शर्तो से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'ब'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से जब्त (forfeit) किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र –'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन कार्यालय सामग्री, प्रिंटिंग लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं कार्टेज रिफलिंग व प्रिन्टर/फोटोकापियर के स्पेयर पार्टस की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub-Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र – 'द'

Fall clause प्रमाण पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन लेखन सामाग्री, स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं अन्य कार्यालय सामग्री की जहाँ कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में प्रश्नगत निविदा के क्रम में अनुबन्ध अवधि में इस निविदा में प्रस्तुत दरों से कम दरों पर किसी भी विभाग, निगम, बोर्ड अन्य स्वायतशाषी संस्था आदि को कार्यालय सामग्री, प्रिटिंग लेखन सामग्री, कम्प्यूटर कन्जुमेबल्स एवं कार्टेज रिफलिंग व प्रिन्टर/फोटोकापियर के स्पेयर पार्टस की आपूर्ति की जाती है तो तद्नुसार ही विश्वविद्यालय से कम दरों पर भुगतान प्राप्त करने के लिए सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'य'

Affidavit

(on non-judicial stamp paper of ₹ 10/-)

I…………………………………… S/o ………………………………. Aged………….. yrs, residing at ………………….. Proprietor/Partner/Director of M/s ………………………………… do hereby solemnly affirm and declare that

(a) My/our above noted enterprise M/s …………………….. has been issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II by the District Industries Center………………..The acknowledgment No. is …………………. Dated ……………… and has been issued for manufacture of following items:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(b) My/our above noted acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum Part-II has not been cancelled or withdrawn by the Industries Department and that the enterprise is regularly manufacturing the above items.

(c) My/our enterprise is having all the requisite plant and machinery and is fully equipped to manufacture the above noted items.

Signature of proprietor /Director
Authorized Signatory with Rubber
Stamp and date

Verification

I…………………… S/o ………………..Aged ……………… yrs residing at ……………………….. Proprietor / Partner/ Director of M/s ……………….. verify and confirm that the contents at (a), (b) and (c) above are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed there in. So help me God.

Deponent

प्रपत्र 'व'

वित्तीय विवरण

वित्तीय वर्ष	ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार टर्न ओवर (₹)
2015-16	....
2016-17	....
2017-18	....
योग	

औसत टर्न ओवर प्रतिवर्ष --

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं दिनांक

प्रपत्र 'र'

FORM NO. 1 [See rule 83 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.................of.......................

Before the.................................... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

    (i) Name of the appellant:

    (ii) Official Address, if any:

    (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (5):

    (i)

    (ii)

    (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

    ....

    ....

    .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

    ....

    ....

Place .... Date

....

Appellant's Signature